पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया, जबलपुर

निविदा(टेंडर) कमांक **IIITDMJ**/निविदा/**2015**/02/..38....... दिनांक 05/08/2015

<u>बाह्य स्त्रोत से जनबल (**Manpower**) उपलब्ध कराने</u>
<u>के कार्य हेतु निविदा दस्तावेज</u>

पं. द्वारका प्रसाद मिश्र
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन
एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया जिला जबलपुर-**482005**

सीलबंद निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि :......../..../..........

निविदा प्रपत्र केता का नाम :–

....

....

इसमें कुल 16 पृष्ठ है.

निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये *500/– मात्र
* पीडीपीएम,आईआईआईटीडीएम, जबलपुर के पक्ष में आहरित
जबलपुर में भुगतान योग्यबैंक ड्राफ्ट व्दारा।

Prilu Sunil 21/08/15

पीडीपीएम, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन
एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

निविदा कार्यसूची के साथ संलग्न तथ्य पत्र

1.	ठेकेदार का नाम व पूरा पता जिसे निविदा कार्यसूची जारी की गई है।	
2.	निविदा दस्तावेज जारी करने की तिथि।	दिनांक 05 / 08 / 2015
3.	निविदा दस्तावेज की प्राप्ति हेतु निवेदन करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 08 / 09 / 2015 दोपहर 2.00 बजे तक
4.	बोली पूर्व सम्मेलन की कार्यसूची।	संस्थान के सम्मेलन सभागार में दिनांक 20 / 08 / 2015 को दोपहर 3.00 बजे।
5.	सीलबंद निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि।	08 / 09 / 2015 को दोपहर 3.00 बजे तक।
6.	सीलबंद निविदा खोले जाने की तिथि। (केवल तकनिकी बोली)	संस्थान के सम्मेलन सभागार में दिनांक 08 / 09 / 2015 को दोपहर 4.00 बजे।
7.	निविदा की वित्तीय बोली खोले जाने की तिथि।(केवल उन निविदाकारों के लिये, जो तकनिकी बोली में पात्र पाए गए हो।)	बाद में घोषित की जाएगी।

रजिस्ट्रार
पीडीपीएम,
आईआईआईटीडीएम
जबलपुर

निविदाकार के हस्ताक्षर

पीडीपीएम, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

बाह्य स्त्रोत से ठेके पर जनबल उपलब्ध कराने हेतु निविदा दस्तावेज (Tender Document for Manpower Outsourcing)

1. निविदा दो भागों में, अलग अलग सीलबंद लिफाफों 'ए' एवं 'बी' में प्रस्तुत की जानी होगी।

(ए) प्रथम लिफाफा 'ए' में तकनीकी विवरण होना चाहिये :-

इस लिफाफे 'ए' में निम्न दस्तावेज होने चाहिये :-

i) कंपनी/फर्म का पंजीयन प्रमाणपत्र।

ii) न्यूनतम 90 कर्मचारियों हेतु श्रम अनुज्ञप्ति (Labour Licence)

iii) कर्मचारी भविष्यनिधि आयुक्त कार्यालय से पंजीयन (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।)

iv) सेवा कर (Service Tax) पंजीयन नंबर (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।)

v) पिछले 3 वित्त वर्षो में न्यूनतम 90 कर्मचारियों के नियोजन/तैनाती का अनुभव प्रमाणपत्र।

vi) औसत आधार पर पिछले 3 वर्षो का वार्षिक लेन देन (Annual Turnover) न्यूनतम रु0 1.00 करोड़ (रुपये एक करोड़ मात्र) होने बाबत अंकेक्षित (Audited) विवरण।

vii) TAN पंजीयन नंबर (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।)

viii) पैन कार्ड की प्रति एवं पिछले 3 वित्त वर्षो हेतु आयकर विवरणियों की प्रति।

ix) निविदा की शर्तें एवं निबंधन, जो सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षरित एवं स्टैंप्ड हो।

x) तकनीकी बोली लिफाफे में ,पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर के पक्ष में अमानत जमा राशि (EMD) रु0 50,000/-(रुपये पचास हजार मात्र) का ड्राफट्, जो जबलपुर में भुगतान योग्य हो, संलग्न होना चाहिये। तकनीकी बोली के साथ अमानत जमा राशि संलग्न न होने पर, तकीनकी बोली सरसरी तौर पर ही निरस्त/अस्वीकृत कर दी जाएगी।

xi) तकनीकी बोली लिफाफे में पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर के पक्ष में निविदा शुल्क (Tender Fees) रु0 500/-(रुपये पांच सौ मात्र) का ड्राफट्, जो जबलपुर में भुगतान योग्य हो, संलग्न होना चाहिये। तकनीकी बोली के साथ निविदा शुल्क संलग्न न होने पर, तकनीकी बोली सरसरी तौर पर ही निरस्त/अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(बी) दूसरे लिफाफा 'बी' में वित्तीय बोली (दर बोली) (Price Bid) विवरण होना चाहिये :-

i) दूसरे लिफाफे 'बी' में केवल वित्तीय बोली (दर बोली) (Price Bid) होनी चाहिये। केवल उन्हीं निविदाकारों का दूसरा लिफाफा 'बी' खोला जाएगा जो तकनीकी बोली में पात्र पाए गए निविदाकारों की छोटी सूची (Short List) में शामिल हो। दूसरे लिफाफे के खुलने की तिथि, समय व स्थान बाबत जानकारी तकनीकी बोली में पात्र पाए गए निविदाकारों को संस्थान द्वारा डाक/ईमेल/फैक्स के माध्यम से भेजी जाएगी।

ii) एजेंसी के सेवा प्रभार, (Service Charges) तैनात किए गए कर्मचारियों को (मासिक आधार पर) भुगतान की जाने वाली कुल मजदूरी के प्रतिशत में स्पष्ट रुप से बोले जाएं।

iii) बिलों की राशि पर लागू सेवा कर (Service Tax) का भुगतान किया जाएगा अतः निविदा में, सेवा कर बाबत कोई दरें बोली जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

2. पात्रता हेतु मापदंड(Eligibility Criteria) :

i) ऐसी फर्में/एजेंसियां निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्र होंगी जो कम से कम 90 कर्मचारियों को ठेके पर उपलब्ध कराने/तैनात करने का न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव रखती हो। उक्त अनुभव, बड़े संस्थानों, सार्वजनिक या निजी संस्थानों में जनबल उपलब्ध कराने से संबंधित होना चाहिये।

ii) निविदाकार का वार्षिक लेन-देन (Annual Turnover), पिछले 3 वित्त वर्षो के औसत आधार पर न्यूनतम रु0 1.00 करोड़ (रुपये एक करोड़ मात्र) होना चाहिये।

iii) निविदाकार, न्यूनतम 90 कर्मचारियों हेतु वैध श्रम अनुज्ञप्ति (Labour Licence) रखता हो।

iv) निविदाकार, उपरलिखित पैरा 1(ए) में दर्शाए गए समस्त दस्तावेज रखता हो।

3. सामान्य शर्तें एवं निबंधन(General Terms & Conditions) :

i) तकनीकी बोली के साथ ,पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर के पक्ष में अमानत जमा राशि (EMD) रु0 50,000/–(रुपये पचास हजार मात्र) का, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी, क्रास्ड डिमांड ड्राफ्ट,/बैंकर्स चेक जो जबलपुर में भुगतान योग्य हो, संलग्न होना चाहिये। कृपया ध्यान दें कि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के स्थान पर कोई अन्य चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा पर अंतिम निर्णय उपरांत, सभी असफल निविदाकारों को अमानत जमा राशि वापस कर दी जाएगी।

ii) निविदाकार, उसके द्वारा प्रस्तावित या बोली गई दरें केवल निविदा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर/उचित स्तंभ में ही भरेगा। किसी अन्य दस्तावेज में निविदा प्रस्तुत करने पर, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा व सरसरी तौर पर ही निरस्त/अस्वीकृत कर दी जाएगी। वित्तीय या दर बोली (Price Bid) के तहत, केवल निविदा प्रपत्र में प्रस्तावित या बोली गई दरें ही विचारयोग्य होंगी। किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज अथवा वित्तीय बोली के साथ संलग्न अन्य दस्तावेज पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। गलत/त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि पाई जाने पर निविदा निरस्ति (Cancellation) हेतु भागी (Liable) होगी। सभी दरें अंकों के साथ साथ शब्दों में भी दर्शाई जानी चाहिये परंतु दोनों में कोई अंतर पाए जाने पर, शाब्दों में दर्शाई गई दरों को ही मान्यता दी जाएगी।

iii) ठेकेदार एजेंसी/सेवा प्रदाता को अनुबंध के प्रारंभ होने से पूर्व, उसके कार्यप्रदर्शन की गारंटी के तौर पर, प्रतिभूति के रुप में रु0 2,50,000/– (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। अनुबंध की वैधता अवधि से आगे 60 दिन तक बैंक गारंटी वैध होना चाहिये। यदि ठेकेदार अनुबंध से स्वयं हट जाता है या उसकी सेवाएं असंतोषजनक पाई जाने के कारण, उसे अपने बचाव का अवसर देने के उपरांत, समाप्त कर दी जाती है, तो उक्त प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

iv) निविदा की स्वीकृति बाबत सभी अधिकार, संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के पास निहित है। सक्षम प्राधिकारी, बिना कोई कारण बताए, संस्थान के हित में किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है।

v. सेवा प्रदाता, उसके एवं उसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली संस्थान की सभी चल संपत्तियों जैसे फर्नीचर, विद्युत स्थापन इत्यादि का भलीभांति रखरखाव करेगा जिससे अनुबंध के दौरान ये सभी अच्छी स्थिति में रह सके। ठेकेदार, उसे सौंपी गई सभी वस्तुओं को, अनुबंध अवधि के अंत में या जब कभी भी अनुबंध की समाप्ति हो, अच्छी स्थिति में वापस करेगा। उक्त संपत्तियों को पहुंची किसी भी क्षति या हानि के लिए, ठेकेदार को, संस्थान के प्राधिकारियों के निर्णयानुसार, संपत्तियों के सुधार हेतु लगने वाली राशि या उन्हें बदलने में लगने वाली राशि तक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम को क्षतिपूर्ति करनी होगी।

vi. रजिस्ट्रार, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, यदि आवश्यक समझें तो ठेकेदार के कार्यक्षेत्र के परिसर का कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं और उसका कार्यनिष्पादन निम्नस्तरीय या असंतोषजनक पाए जाने पर अनुबंध रदद् कर सकते हैं।

vii. ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा या उसके ठेके के अनुबंधित कर्मचारियों द्वारा संस्थान में नियमित नौकरी पाने या संस्थान में समाहित किये जाने हेतु किसी भी दावे पर, संस्थान ध्यान नहीं देगा व स्वीकार/विचार नहीं करेगा।

viii. प्रस्तुत की गई निविदा की वैधता अवधि, निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि से कम से कम 90 दिन आगे तक होनी चाहिये।

ix. ठेके के अंतर्गत उन्हें दिए गए कार्य को किसी अन्य एजेंसी को आगे सिकमी या उप ठेके (Sub let) पर देने की ,ठेकेदार/फर्म/कंपनी को अनुमति नहीं दी जाएगी।

x. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान में तैनात उसके सभी कर्मचारी, उचित, स्वच्छ व सुघड़ (Proper, clean & neat) वेशभूषा में रहे व संस्थान में हमेशा ही अनुशासनबध्द व शिष्टतापूर्ण व्यवहार करें। ठेकेदार को, सभी कर्मचारियों को उसके व्यय पर उचित वर्दी उपलब्ध कराना होगी। वर्दी के रंग बाबत निर्णय रजिस्ट्रार व ठेकेदार की आपसी सहमति के आधार पर तय होगा। ठेकेदार के सभी कर्मचारियों को वर्दी के बाएं भाग पर ठेकेदार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र लगाना होगा या गले में लटकाना होगा, जिससे कार्य समय में उनकी पहचान की जा सके।

xi. संस्थान के निदेशक का, किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व अथवा कानूनी या अन्य जिम्मेदारी, ठेके के कर्मचारियों या उनसे संबंधित कार्यों हेतु, नहीं होगी। कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका आचरण, अनुशासन, सेवा समाप्ति, मजदूरी, कार्य की शर्तें एवं निबंधन इत्यादि सभी जिम्मेदारी व दायित्व केवल ठेकेदार के होंगे। उसे आवधिक रुप से, अपने कर्मचारियों का स्वास्थ्य, कार्य करने योग्य होने (Medical Fitness) बाबत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

xii. ठेकेदार फर्म/कंपनी को अपने सभी कर्मचारियों के चरित्र व पूर्ववृत्त को पुलिस से सत्यापित करवाना होगा व अपने सभी कर्मचारियों की सूची मय उनके स्थाई निवास पते के, संस्थान को प्रस्तुत करनी होगी।

xiii. यदि संस्थान को, ठेकेदार के किसी कर्मचारी का आचरण व व्यवहार संतोषप्रद नहीं लगता है तो, संस्थान की सलाह पर, ठेकेदार को संबंधित कर्मचारी के स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी को तैनात करना होगा।

xiv. यदि दोनों पक्षों में (अनुबंध में परिभाषित) कोई असहमति या विवाद उत्पन्न होता है तो, उक्त विवाद निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर को संदर्भित किया जाएगा व इस बाबत उनका निर्णय दोनों पक्षों हेतु अंतिम व बाध्यकारी होगा।

xv. निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर, बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

xvi. सेवा प्रदाता के पास परिसर में कर्मचारियों के पर्यवेक्षण एवं व्यवस्था की अपनी प्रणाली होनी चाहिये जिससे रजिस्ट्रार, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारि/यों की संतुष्टि/आवश्यकतानुसार, उपयुक्त कर्मचारी को तैनात किया जा सके। हालांकि, ऐसी किसी प्रणाली का विस्तृत विवरण सेवा प्रदाता को, रजिस्ट्रार या संस्थान के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

xvii. ठेकेदार को सौपे गए कार्य का उसके द्वारा कम से कम सप्ताह में एक बार स्वयं ही निरीक्षण किया जाएगा व निरीक्षण प्रतिवेदन रजिस्ट्रार, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/स्टाफ को नियमित रुप से प्रस्तुत किया जाएगा। संस्थान के निदेशक/रजिस्ट्रार या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारि/यों द्वारा भी आंतरिक व्यवस्था व कार्य का, समय समय पर निरीक्षण किया जा सकता है।

xviii. कर्मचारियों का व्यवहार किसी भी रुप में प्रशासन हेतु अहितकर नहीं होना चाहिये। ठेकेदार, द्वारा अच्छे चालचलन वाले, शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त, दक्ष, व्यवहारकुशल व कार्यकुशल कर्मचारियों को ही उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

xix. ठेकेदार को ऐसे किसी भी कर्मचारी को, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर की सेवा से हटाना होगा जिसका आचरण सक्षम प्राधिकारी की राय में अच्छा न हो या/एवं जो किसी भी प्रकार से अयोग्य या कार्य हेतु अनुपयुक्त पाया जाए। ऐसा करने में असफल रहने पर, उक्त नियोजन हेतु बोली गई दर के 10 प्रतिशत से शास्ति लगाई जाएगी व संबंधित कर्मचारी हेतु किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस बाबत निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

xx. कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश या नियमित कर्मचारियों के अवकाश पर रहने की स्थिति में, उनके स्थान पर रक्षित (Reserve) कर्मचारियों की ठेकेदार को व्यवस्था करनी होगी। ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी कर्मचारी स्वस्थ होने चाहिये व किसी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिये।

xxi. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मानव अधिकार आयोग, भारत सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम या ऐसे किसी भी कानूनों/नियमों के तहत या नियमों के द्वारा, निश्चित किए गए सभी मानदंडों का पूर्णतः पालन किया जाए और संस्थान को हानिरहित व क्षतिमुक्त रखा जाए। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी नियम के अनुपालन न करने बाबत कोई सूचना संस्थान को दी जाती है तो, ठेकेदार को त्रुटि दूर करनी होगी व संस्थान को इससे हुई किसी हानि की क्षतिपूर्ति करना होगी।

xxii. ठेकेदार द्वारा दी जा रही सेवाएं, संस्थान के शैक्षिक स्तर/आदर्श के अनुरुप होनी चाहिये। किसी प्रकार के व्यतिक्रम (Deviation) या कमी (Deficiency) को अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा व तदनुसार अनुबंध समाप्त किये जाने का भागी होगा। इस बाबत निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

xxiii. निविदा में बोली गई व तदुपरांत स्वीकृत की गई दरें, अनुबंध अवधि हेतु अंतिम रहेंगी।

xxiv. सभी कानूनी विवाद जबलपुर न्यायक्षेत्र के अधीन रहेंगे।

Pinku Sunil 21/4/15

xxv. जनबल तैनाती अभियान में तैनात किए गए कर्मचारियों की संख्या बाबत जानकारी ठेकेदार को स्वप्रमाणित प्रति में प्रस्तुत करनी होगी।

xxvi. वर्तमान में 88 कर्मचारियों की आवश्यकता संभावित है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है। संस्थान की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की संख्या घट/बढ़ सकती है। निविदाकार के पास न्यूनतम 90 कर्मचारियों हेतु श्रम अनुज्ञप्ति (Labour Licence) होना चाहिये।

xxvii. संस्थान, निविदा प्रकिया को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

xxviii. संस्थान के हित में सेवा प्रदाता से कार्यरत कर्मचारियों को रखने हेतु कहा जा सकता है।

xxix. वर्तमान एवं/या पूर्व की संस्थाओं से प्राप्त ना प्रतिवाद प्रमाण पत्र संलग्न करे, यह प्रमाण पत्र निविदा जारी होने के पश्चात जारी किया गया हो।

xxx. यदि न्यूनतम दरें एक से अधिक निविदाकारों द्वारा बोली गई हो, तो कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का अधिक अनुभव रखने वाले निविदाकार को अधिमानता (Weightage) दी जाएगी इस बाबत निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा।

4. अनुबंध अवधिः

i. एक औपचारिक अनुबंध करना होगा, जो प्रथमतः एक वर्ष हेतु वैध होगा और ठेकेदार का कार्यनिष्पादन संतोषजनक पाया जाने पर, आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार आगे की अवधि/यों हेतु विस्तारयोग्य होगा, परंतु एक समय पर एक वर्ष से अधिक विस्तार नहीं दिया जाएगा।

ii. सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा सेवाओं पर निगरानी रखी जाएगी।

iii. यदि संस्थान की निगरानी/निरीक्षण समिति द्वारा अनुबंध की अवधि के दौरान, असंतोषजनक सेवाओं बाबत प्रतिवेदन (Report) दिया जाता है, तो संस्थान द्वारा ठेकेदार को उसकी वजह (Justification) जानने हेतु अवसर दिये जाने के बाद, अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। अनुबंध की इस तरह समाप्ति से संस्थान को होने वाली किसी भी हानि को ठेकेदार से वसूल किया जाएगा। इस बाबत निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा।

iv. यदि ठेका/अनुबंध को या उसमें निहित किन्हीं शर्तो व निबंधनों को ठेकेदार द्वारा तोड़ा जाता है, तो निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर, ठेकेदार को तर्कसंगत समय (जो वह उचित समझें) की कारण बताओं सूचना लिखित में देकर, अनुबंध/धों की बची हुई अवधि हेतु अनुबंध/धों को रदद्/निरस्त कर सकता है। इस प्रकार अनुबंध के निरस्त होने पर, ठेकेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति जमाराशि जब्त की जाएगी। ऐसे प्रकरण में, निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा।

v. निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर, किसी भी समय, एक माह का लिखित नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताए, अनुबंध समाप्त कर सकता है।

4. **मजदूरी, कल्याण व भुगतान शर्तें:**

i. ठेकेदार को निम्न दर से मजदूरी का भुगतान करना होगा :
सर्वोच्चकुशल (Super skilled) कामगार को रु0 700/– प्रतिदिन, जिसमें 10 प्रतिशत वार्षिक की वृध्दि होगी एवं अन्य सभी कर्मचारियों को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आदेशानुसार भुगतान किया जाएगा।

ii. ठेकेदार, उसकी कर्मचारी स्थापना हेतु अपने व्यय से ईपीएफ, ईएसआईसी, विविध प्रावधान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम एवं केंद्र सरकार द्वारा बाह्य स्त्रोतों से ठेके पर लिये गए कर्मचारियों हेतु लागू, अन्य सभी संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यकताओं का पालन करके सुरक्षा प्राप्त करेगा।

iii. ठेकेदार, केंद्र सरकार द्वारा बाह्य स्त्रोतों से ठेके पर लिये गए कर्मचारियों हेतु चिकित्सा व्यय, दुर्घटना हितलाभ, कामगार मुआवजा, न्यूनतम मजदूरी, बोनस, कल्याणकारी योजनाएं एवं अन्य संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं बाबत समय समय पर लागू सभी श्रम कानूनों का पालन करेगा।

iv. सेवा प्रदाता, किसी कानून/नियम के उल्लंघन हेतु श्रम विभाग/अन्य किसी विभाग/किसी न्यायालय द्वारा लगाए गए अर्थदंड (Penalty) का भुगतान स्वयं ही करने हेतु भागी होगा।

v. ठेकेदार द्वारा संस्थान में तैनात किये गये कर्मचारियों हेतुईपीएफ/ईएसआई/सेवा कर इत्यादि के भुगतान बाबत दस्तावेजी साक्ष्य, अनुबंध प्रारंभ होने के 60 दिवस के भीतर संस्थान को प्रस्तुत करने होंगे, जो कर्मचारियों की सदस्यता, संबंधित विभागों में दर्ज होने व उनसे संबंधित योगदान का भुगतान होने के प्रमाण होंगे। ऐसा करने में असफल रहने पर, ठेकेदार का बिल भुगतान हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। सभी कर्मचारियों के पास ईएसआई कार्ड उपलब्ध होने चाहिये।

vi. किसी बाल मजदूर को नियोजित नहीं किया जाएगा।

vii. सभी कर्मचारियों को, संस्थान द्वारा पदनामित अधिकारी की उपस्थिति में भुगतान किया जाएगा अथवा संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में अंतरण कर भुगतान किया जाएगा व ठेकेदार द्वारा इस बाबत प्रमाणपत्र, भुगतान हेतु प्रस्तुत मासिक बिल के साथ संलग्न होना चाहिये।

viii. सेवा प्रदाता, केंद्रीय एवं स्थानीय कर कानूनों के तहत सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा तथा संबंधित शासकीय प्राधिकारियों को सभी कर, शुल्क एवं अन्य वैधानिक देयताओं के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा

ix. सेवा प्रदाता को इस बाबत वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर आश्वस्त करना होगा कि वह, ठेका मजदूरी (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 एवं समय समय पर उसमें किए गए संशोधनों के तहत पंजीकृत है।

x. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्मिकों की कम उपस्थिति पाई जाने पर, मासिक भुगतान में आनुपातिक कटौति की जाएगी।

xi. सेवाप्रदाता को अनुमोदित दरों के अनुसार माह के अंत में संस्थान द्वारा भुगतान किया जाएगा।

xii. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किए गए सभी कर्मचारियों को भारत सरकार/श्रम कानूनों/न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के नियमों के अनुरुप, साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी।

xiii. सेवा प्रदाता सभी तैनात कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार शासकीय प्राधिकारियों द्वारा निश्चित की गई दरों के अनुसार ही भुगतान करेगा।

xiv. कर्मचारियों को किए गए भुगतान व वैधानिक देयताओं हेतु की गई कटौतियों एवं जमा बाबत विवरण, अगले देयक के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिये अन्यथा सेवा प्रदाता के विरूद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा यथोचित कार्यपाही प्रारंभ की जा सकती है।

Pertu Sunil 21/4/15

तकनिकी बोली (Technical Bid)

विषय :– **पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर को बाह्य स्त्रोतों से जनबल उपलब्ध कराने हेतु निविदा**

1. निविदाकार/एजेंसी का नाम। :..

2. टेलिफोन नंबर/मोबाइल नंबर :...
के साथ पता। :...
:...

3. कंपनी/फर्म/साझेदारी का पंजीयन नंबरः..
(पंजीयन प्रमाणपत्र की फोटोकापी संलग्न करें।)

4. (i)निविदाकार/संस्था का पैन नंबर।:..
(फोटोकापी संलग्न करें।)
(ii)सेवा कर पंजीयन नंबर। :..
(फोटोकापी संलग्न करें।)

5. अमानत जमा राशि/डिमांड ड्राफट् नंबर..............................दिनांक.........................बैंक का नाम...राशि रु0.........................अमानत जमा राशि।

6. फर्म/एजेंसी का वार्षिक लेन देन :.................................(प्रमाण संलग्न करें)
(यह पिछले 03 वित्त वर्षों के औसत आधार पर 1 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होना चाहिये तुलन पत्र की पंजीकृत सनदी लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित प्रतियां संलग्न करें)
वित्त वर्ष 2013-14 :..
वित्त वर्ष 2012-13 :..
वित्त वर्ष 2011-12 :..

7. पिछले 03 वित्त वर्षों की आयकर विवरणियां। (फोटोकापियां संलग्न करें।)

8. (ए) श्रम अनुज्ञप्ति (Labour Licences)
(फोटोकापी संलग्न करें।)
(बी) ईपीएफ (EPF)
(फोटोकापी संलग्न करें।)
(सी) ईएसआईसी (ESIC)
(फोटोकापी संलग्न करें।)

9. केंद्र / राज्य शासन / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / शासकीय स्वायत्त निकाय / निजी संस्थाओं को पिछले 03 वर्षों में, न्यूनतम 145 कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने बाबत अनुभव प्रमाणपत्र। (केवल प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिये। कार्यआदेश या अनुबंध इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते।)

10. ना प्रतिवाद प्रमाण पत्र वर्तमान एवं / या पूर्व की संस्थाओं से प्राप्त, संलग्न है ? हां / नहीं

11. क्या निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं स्टैंप है ? हां / नहीं

12. अन्य कोई ऐसी सूचना जो निविदाकार की राय में महत्वपूर्ण हो।

दिनांक.............................

....
निविदाकार / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
के हस्ताक्षर व फर्म / कंपनी की सील

वित्तीय बोली या दर बोली (Price Bid)

विषय :– **पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर को बाह्य स्त्रोतों से जनबल उपलब्ध कराने हेतु निविदा**

(कृपया 1(बी) एवं सामान्य शर्तों एवं निबंधनों का संदर्भ लें)

1. एजेंसी के सेवा प्रभार, तैनात किए गए कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली कुल मजदूरी राशि के प्रतिशत में स्पष्ट रुप से बोले जाने चाहिये।

2. यदि न्यूनतम दरें एक से अधिक निविदाकारों द्वारा बोली गई हो, तो कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का अधिक अनुभव रखने वाले निविदाकार को अधिमानता (Weightage) दी जाएगी या/एवं ऐसी अन्य कोई कसौटी (Criteria) निश्चित की जाएगी जिसे संस्थान द्वारा उचित समझा जाए। इस बाबत निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा।

निविदाकार का नाम	बोली गई दर प्रतिशत में

दिनांक.............................

....

निविदाकार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
के हस्ताक्षर व फर्म/कंपनी की सील

वचनपत्र

1. मैं/हम वचनबध्द है कि, मैने/हमने सभी शर्तों एवं निबंधनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम के प्रस्तावित कार्य के मापदंडों को अच्छी तरह समझ लिया है व उनके पालन हेतु प्रतिबध्द रहूंगा/रहेंगे।

2. मैं/हम इसके लिए भी वचनबध्द है कि, मैने/हमने " कार्य करने हेतु तय किये गये सभी मापदंडों (Parameters) एवं तकनिकी विनिर्देशों (Technical Specifications) " को अच्छी तरह समझ लिया है एवं कार्य, कड़ाई से इन्हीं मापदंडों के आधार पर, किया जाएगा।

3. मैं/हम इसके लिए भी वचनबध्द है कि, फर्म/एजेंसी को किसी भी शासकीय विभाग या संस्थान द्वारा काली सूची (Black list) में नहीं डाला गया है।

4. मैं/हम आगे इसके लिए भी वचनबध्द है कि, इस निविदा में दी गई सभी सूचनाएं/जानकारियां सभी प्रकार से सत्य एवं सही है व हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं।

दिनांक............................

स्थान..............................

....
निविदाकार के दिनांक सहित
हस्ताक्षर व फर्म/कंपनी की सील

Pintu Sunil 2/4/15

परिशिष्ट-1

विषय :– **पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर को बाह्य स्त्रोतों से जनबल उपलब्ध कराने हेतु निविदा**

स.क्र.	श्रेणी (Category)	उप श्रेणी (Sub-Category)	उपश्रेणीवार आवश्यक कर्मचारियों की संख्या	श्रेणीवार कुल कर्मचारियों की संख्या	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार दिनांक 25.03.2015 को प्रति व्यक्ति प्रति दिन की मजदूरी
1	सर्वोच्चकुशल (Super skilled)	प्रबंधक / नर्सिंग सहायक / प्रोग्रामर	11	11	700
2	अतिकुशल (High skilled)	केयरटेकर / पर्यवेक्षक / वरिष्ठ तकनिकी सहायक / वरिष्ठ कार्यालय सहायक	12	12	404
3	कुशल (skilled)	(i) ड्रायवर	05	23	367
		(ii) परिचालक	01		
		(iii) प्रयोगशाला / तकनिकी सहायक	05		
		(iv) रसोईयां	02		
		(v) कनिष्ठ कार्यालय सहायक	10		
4	अर्ध कुशल (Semi skilled)	(i) इलेक्ट्रिशियन	09	12	312
		(ii) प्लंबर / कारपेंटर	02		
		(iii) सिविल कार्य सहायक	01		
5	अकुशल(Unskilled)	(i) परिचर (सहायक)	13	30	276
		(ii)चपरासी / माली / स्वीपर / क्लीनर	17		
		कुल (Total)		88	

नोट :–

1. जब भी आवश्यक हो, किसी नई उप श्रेणी को जोडा जा सकता है।
2. उप श्रेणीवार, कर्मचारियों की योग्यताओं हेतु परिशिष्ट-2(Annexure-2) का संदर्भ लें।

परिशिष्ट-2

विषय :– पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर को बाह्‌य स्त्रोतों से जनबल उपलब्ध कराने हेतु निविदा

उप श्रेणीवार योग्यताएं

स. क्र.	उप श्रेणी	योग्यताएं (शिक्षण एवं अनुभव)
1.	प्रबंधक	स्नातक डिग्री के साथ किसी शासकीय/सार्वजनिक/प्रा.लि. कंपनी में संबंधित क्षेत्र में या पद पर कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव। कंप्यूटर का ज्ञान।
2.	प्रोग्रामर	बी.ई./बी.टेक डिग्री के साथ कंप्यूटर प्रणाली चलाने एवं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।
3.	वरिष्ठ तकनिकी सहायक	मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से डिग्री के साथ 02 वर्ष का अनुभव। कंप्यूटर एवं नवीन अध्यापन तरीकों/उपादानों (Modern Teaching Aids) का ज्ञान।
4.	वरिष्ठ कार्यालय सहायक	स्नातक डिग्री के साथ किसी शासकीय/सार्वजनिक/प्रा.लि. कंपनी में संबंधित क्षेत्र में या पद पर कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव। कंप्यूटर का ज्ञान।
5.	केयरटेकर/पर्यवेक्षक(Supervisor)/ वरिष्ठ कार्यालय सहायक	स्नातक डिग्री के साथ किसी शासकीय/सार्वजनिक/प्रा.लि. कंपनी में संबंधित क्षेत्र में या पद पर कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव। कंप्यूटर एवं नवीन अध्यापन तरीकों/उपादानों (Modern Teaching Aids) का ज्ञान।
6.	नर्सिंग सहायक	नर्सिंग या दाई के तौर पर (मिडवाइफरी) या समान क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा अथवा स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय(स्वास्थ्य विभाग) द्वारा मान्यता प्राप्त, थलसेना, जलसेना या वायुसेना के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय द्वारा संचालित नर्सिंग तकनिकी कोर्स किया हो, जो नागरिक सेवाओं (सिविल) में मेल नर्सिंग के समकक्ष है।शासकीय/सार्वजनिक/निजी अस्पताल या नर्सिंग होम में संबंधित क्षेत्र में या पद पर कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव।
7.	ड्रायवर	1. भारी मोटर वाहन (बस इत्यादि) हेतु ड्रायवर न्यूनतम योग्यता : कक्षा आठवीं उत्तीर्ण + भारी मोटर वाहन (HMV) चालन का ड्रायविंग लाइसेंस व बिल्ला (बैज) + भारी वाहन (HMV)चालन का 03 वर्ष का अनुभव। 2. हल्के मोटर वाहन (कार, जीप, एंब्युलेंस इत्यादि) हेतु ड्रायवर न्यूनतम योग्यता : कक्षा आठवीं उत्तीर्ण + हल्के मोटर वाहन (LMV) चालन का ड्रायविंग लाइसेंस व बिल्ला (बैज) + हल्के वाहन (LMV) चालन का 03 वर्ष का अनुभव।

Pulin Sunil 21/4/15

8.	परिचालक (Conductor)	कक्षा 12 वी उत्तीर्ण व साथ में 03 वर्ष का अनुभव।
9.	प्रयोगशाला / तकनिकी सहायक	1. प्रयोगशाला सहायक न्यूनतम योग्यता : कक्षा 12 वी उत्तीर्ण व साथ में संबंधित विषय / शाखा में आईटीआई या समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया हो अथवा मान्यताप्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा। कंप्यूटर का ज्ञान। 2. तकनिकी सहायक न्यूनतम योग्यता : मान्यताप्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से डिप्लोमा के साथ 04 वर्ष का अनुभव। । कंप्यूटर का ज्ञान।
10.	रसोईयां (Cook)	कक्षा 5 वी उत्तीर्ण व साथ में खाना बनाने या खानपान सेवा में प्रमाणपत्र कोर्स किया हो तथा किसी शासकीय संस्थान / प्रतिष्ठित होटल में संबंधित क्षेत्र में या पद पर कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव।
11.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक	किसी भी शाखा में स्नातक डिग्री व कंप्यूटर का ज्ञान।
12.	इलेक्ट्रिशियन	कक्षा 10 वी उत्तीर्ण व साथ में आईटीआई से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में उत्तीर्ण व 02 वर्ष का तत्संबंधी अनुभव। अथवा कक्षा 10 वी उत्तीर्ण व संबंधित क्षेत्र में 01 वर्ष का प्रमाणपत्र कोर्स एवं 03 वर्ष का तत्संबंधी अनुभव। अथवा कक्षा 8 वी उत्तीर्ण व लाइसेंस धारक इलेक्ट्रिशियन हो तथा 05 वर्ष का तत्संबंधी अनुभव।
13.	प्लंबर / कारपेंटर	कक्षा 10 वी उत्तीर्ण व आईटीआई / प्लंबिंग या कारपेंटरी या समकक्ष में कम से कम 01 वर्ष अवधि का प्रमाणपत्र कोर्स किया हो तथा 01 वर्ष का तत्संबंधी अनुभव। अथवा कक्षा 8 वी उत्तीर्ण व प्लंबिंग या कारपेंटरी या समकक्ष में 03 वर्ष का तत्संबंधी अनुभव।
14.	सिविल कार्य सहायक	कक्षा 10 वी उत्तीर्ण व साथ में संबंधित शाखा में आईटीआई एवं 03 वर्ष का तत्संबंधी अनुभव। अथवा कक्षा 10 वी उत्तीर्ण व साथ में संबंधित शाखा में डिप्लोमा एवं 01 वर्ष का तत्संबंधी अनुभव। अथवा संबंधित शाखा में स्नातक डिग्री
15.	परिचर (Attendant)	कम से कम कक्षा 8 वी उत्तीर्ण व साथ में कुछ अनुभव।
16.	चपरासी / माली / स्वीपर / क्लीनर / हाउस कीपर	कम से कम कक्षा 8 वी उत्तीर्ण व साथ में कुछ अनुभव।

21/4/15